

दिनांक

दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग (4) में प्रकाशित करने हेतु:-

कार्यालय उपायुक्त पुलिसः यातायातः मुख्यालयः दिल्ली

दिल्ली यातायात पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली

अधिसूचना

क्योंकि आसफ अली रोड पर हमर्द चौक से तुर्कमान गेट में यातायात के सुगम प्रवाह, और सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

और क्योंकि यातायात की सघनता की समस्या के कारण सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए उपरोक्त मार्ग पर यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करना आवश्यक है।

अतः मैं, आर. के. झा, उपायुक्त पुलिस यातायात, मुख्यालय दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए एटद द्वारा आसफ अली रोड पर हमर्द चौक से तुर्कमान गेट तक सभी प्रकार के मोटर वाहनों के लिए अगले आदेश तक एक तरफा मार्ग की घोषणा करता हूँ।

यह आदेश प्रत्येक दिन 24 घंटे लागू रहेगा।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्त तथा तमाम थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टियों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जायेगी।

संबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण के सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाएँगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 03/09/14 को जारी किया गया।

(०३.०९.१४)
(आर. के. झा)

उपायुक्त पुलिसः

यातायात मुख्यालयः दिल्ली

सं० ५३८२-५५६१ /या० अभि० शा० ढी०-२ दिनांक दिल्ली ०३/०९/१४

प्रतिलिपि समस्त कार्यालयों को प्रेषित है जैसा कि अंग्रेजी आदेश में।